न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी— संजू पारीक आर.ए.एस.

निगरानी अन्तर्गत धारा 97(1) पंचायती राज अधिनियम 1994

प्रकरण संख्या— 07 / 2026

1. राजीव कुमार पुत्र राधेश्याम जाति खटीक निवासी फ्लेट नं. 407 मोर्वल होम्स नोएडा गोतम बुद्ध नगर (यू.पी.) जरिये मु0 आम गौरव दिक्षित पुत्र प्रमोद कुमार मंदाकिनी विहार रायपुर रोड़, देहरादून (उत्तराखण्ड)।
2. अर्चना पत्नी राजीव कुमार जाति खटीक निवासी फ्लेट नं. 407 मोर्वल होम्स प्लाट नं. 17 सैक्टर नं. 61 नोएडा गोतम बुद्ध नगर (यू.पी.) जरिये मु0 आम गौरव दिक्षित पुत्र प्रमोद कुमार मंदाकिनी विहार रायपुर रोड़, देहरादून (उत्तराखण्ड)।

—प्रार्थीगण

बनाम

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

1. [illegible]ीत सिंह पुत्र मुखत्यार सिंह जाति जटसिख निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. अजीत सिंह पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. बलदेव कौर पत्नी दर्शन सिंह जाति जटसिख निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. मलकीत सिंह पुत्र दर्शन सिंह जाति जटसिख निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. विकास अधिकारी महोदय, पंचायत समिति नोहर तहसील नोहर।
6. सरपंच ग्राम पंचायत गोगामेड़ी तहसील नोहर।

— अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:44:07 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थितः— श्री मांगेराम गोदा[illegible] अधिवक्ता प्रार्थीगण।

श्री नरेन्द्र किशोर [illegible] अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या—01

निर्णय दिनांकः— 19/03/2026

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

प्रार्थीगण द्वारा विकास अधिकारी पंचायत समिति नोहर के आदेश दिनांक 29.10.2025 सरजीत सिंह बनाम ग्राम पंचायत गोगामेड़ी में पारित निर्णय को निरस्त करने निगरानी प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है–

1. अप्रार्थी संख्या–1 ने एक अपील अनवानी सरजीत सिंह बनाम ग्राम पंचायत गोगामेड़ी आदि पंचायत समिति नोहर में बिना किसी आधार के इस आशय की पेश की कि ग्राम पंचायत गोगामेड़ी में प्रार्थीगण का एक रिहायशी भूखण्ड पूर्वजो के समय से मैं/हमारे स्वामित्व व आधिपत्य में है। भूखण्ड की दीवार व गेट मुख्य सड़क पर है। हमारे भूखण्ड के उत्तर पूर्व में दर्शनसिंह का भूखण्ड था, जिसके दक्षिण पश्चिम में हमारी कब्जा की जगह दर्शाई गई है। अजीत सिंह ने दर्शनसिंह से भूखण्ड खरीद लिया तथा अपने नाम से दिनांक 01.02.2008 को पट्टा बनवा लिया, जो कि गलत है। मैं रिटायर्ड सैनिक हूँ। मैं गांव में अपने रिश्तेदारो के पास गया हुआ था, पीछे से अजीतसिंह ने दर्शनसिंह के भूखण्ड के दक्षिण दिशा में कब्जा कर निर्माण शुरू कर दिया, तब मैने इनको रोका तो इन्होने यहां अपने नाम पट्टा जारी होना बताया फिर मैने इसकी पड़ताल की तथा नकल लेकर विधि विरूद्ध जारी किये गये पट्टे को खारीज करवाने बाबत यह अपील पेश की। अपील पेश होने के बाद दिनांक 20.12.2024 को उक्त पट्टे की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया तथा दिनांक 30.12.2024 को अपने ही आदेश में संशोधन किया जाकर यह आदेश पारित किया कि उक्त पट्टे के दक्षिण हिस्से में उत्तर से दक्षिण 38 X 54 खिड़की व दरवाजे की यथास्थिति बनाये रखे तथा बार –बार हमें स्थगन की आड़ में परेशान करते रहे। आखिरकार दिनांक 29.10.2025 को पिछे की तारीख लगाकर यह अपील स्वीकार की जाकर हमारे भूखण्ड के पश्चिम में आम गली को निजी गली घोषित किया है, जो निम्न आधारों पर अपास्त योग्य है–

(क) उक्त बनवानी अपील बिना किसी Cause of Action (वाद हेतु) के पेश की गई है तथा किस Section में पेश की गई है। अपील बेबुनियाद व अस्पष्ठ होने के कारण चलने योग्य नहीं है।

(ख) उक्त अनवानी अपील में निगरानीकर्ता जो आवश्यक पक्षकार है जिसे पक्षकार नही बनाया गया है तथा हमारे नाम उक्त भूखण्ड का बैयनामा है फिर भी हमें पक्षकार ही नहीं बनाया और बिना पक्षकार बनाये, बिना सुनवाई किये दिनांक 20.12.2024 को सम्पूर्ण भूखण्ड पर यथास्थिति का आदेश पारित किया गया तथा दिनांक 30.12.2024 को बिना किसी सुनवाई के आदेश में संशोधन करते हुए भूखण्ड के दक्षिण दिशा में खिड़की व दरवाजे की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारीत किये गये है तथा दिनांक 29.10.2025 को आम गली को निजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:44:07 IST
Reason: Self Attested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

घोषित कर दिया जो प्रार्थीगण के हितो के मुकाबले शुन्य है तथा निरस्त योग्य है।

(ग) उक्त भूखण्ड प्रार्थीगण का जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा अनिल कुमार पुत्र महावीर प्रसाद से तथा अमित कुमार ने राजेन्द्र सिंह से और राजेन्द्र सिंह ने अजीत सिंह से खरीद किया हुआ है बाद खरीद निगरानी कर्ता के कब्जा में है तथा वहां स्थाई रूप से मकान बनाकर उपयोग उपभोग में ले रहे है। नकल बैयनामा संलग्न है।

(घ) गैरसायलान ने विधि विरूद्ध तरीके से बिना हमें पक्षकार बनाये बिना हमारे खरीदशुदा भूखण्ड पर पहले निर्माण को बाधित करवाया तथा बार – बार स्थगन से परेशान किया तथा अब दिनांक 29.10.2025 को विधि विरूद्ध तरीके से हमारे घर के पश्चिम दिशा में आम गली जो पिढ़ियों से चली आ रही है को निजी गली घोषित करके बहुत बड़ी कानूनी भूल की है, जो निरस्त योग्य है।

(ड़) अपीलान्ट ने अपील में रेस्पोडेन्ट संख्या 3 दर्शनसिंह फौत हो चुका है मृतक के खिलाफ बिना सुनवाई किये तथा हमें पक्षकार भी नहीं बनाया है। उक्त भूखण्ड के हम खरीददार है तथा रजिस्टर्ड मालिक है बिना सुनवाई किये विधि विरूद्ध तरीके से उक्त निर्णय पारित किया है, जो निरस्त किया जावे।

उक्त अनवानी अपील में निगरानीकर्ता आवश्यक पक्षकार है तथा उक्त भूखण्ड का बैयनामा भी निगरानीकर्ता के नाम है फिर भी हमें पक्षकार नहीं बनाया मातहत अदालत को गुमराह करके एक पक्षीय स्थगन ले रखा है, जिसे निरस्त किया जावे तथा हम निगरानीकर्ता उक्त निर्णय से प्रभावित हो रहे है इसलिए बतौर तृतीय पक्षकार दफा 96 सीपीसी के तहत निगरानी प्रस्तुत कर रहे है न्याय हित में हमारे खिलाफ जारी निर्णय को निरस्त किया जावे तथा निर्णय दिनांक 29.10.2025 को निरस्त किया जावे।

(छ) अप्रार्थीगण तेज तर्रार व्यक्ति है उक्त निर्णय की आड़ में जबरिया आम गली पर अतिक्रमण करने पर आमादा है तथा उक्त निर्णय से उत्साहित होकर सार्वजनिक गली को निजी बताकर हमें परेशान कर रहा है तथा हमारे भूखण्ड के गेट खिड़किया व दरवाजे बंद करना चाहते है तथा बिना वहज विवाद पैदा कर रहा है इसलिए निर्णय दिनांक 29.10. 2025 निरस्त किया जावे।

(ज) निगरानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार की है उचित न्याय शुल्क पर पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:44:07 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अतः निगरानी प्रार्थी पेश करके निवेदन है कि निगरानी स्वीकार की जाकर किया जाकर पंचायत समिति नोहर के निर्णय दिनांक 29.10.2025 मिसल नं. 5/25 की पालना स्थगित की जावे।

निगरानी पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या–01 की ओर से श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या–2 ता 4 रजिस्ट्रर्ड डाक से तामिल होनें के बाद भी उपस्थित नहीं हुए। अतः अप्रार्थी संख्या– 2 ता 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या –5 ,6 बाद तामिल उपस्थित नहीं हुए। अप्रार्थी संख्या–5 से प्राप्त निगरानीधीन निर्णय की पत्रावली संलग्न की गई।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि अप्रार्थी संख्या–01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय पंचायत समिति नोहर में अपील पेश की गई। अपील में कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा पुरानी पुश्तैनी जमीन पर पट्टा जारी करवाकर निर्माण कार्य किया जा रहा है। दर्शनसिंह मृतक के खिलाफ अपील पेश की गई। लेकिन रजिस्ट्रर्ड बैयनामा से खरीदशुदा भूखण्ड के मालिक को पक्षकार ही नहीं बनाया गया। प्रार्थी से पूर्व तीन बैयनाम किया जा चूका था एंव प्रार्थी के पक्ष में चौथा बैयनामा किया गया है। पट्टा वर्ष 2008 में जारी किया गया था, जिसकी अपील वर्ष 2024 में पेश की गई। अतः अपील म्याद बाहर है। रजिस्ट्रर्ड बैयनामा से खरीदशुदा भूखण्ड के मालिक गौरव को पक्षकार नहीं बनाया गया। अपील वर्ष 2008 में जारी पट्टा को खारिज करवानें हेतु अपील पेश की गई लेकिन दिनांक 29.10.2025 को पंचायत समिति नोहर द्वारा पारित निर्णय अप्रार्थी संख्या–01 द्वारा प्रस्तुत अपील की रलीफ के खिलाफ है। भूखण्ड के पश्चिम में स्थित गली को निजी गली घोषित किया गया जबकि कोई भी निजी नहीं होती है। गली तो सार्वजनिक होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया गया। गली की आड़ में अतिक्रमण कर रहे है। अतः गली को सार्वजनिक घोषित किया जावे ताकि आवागमन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। अधनीरथ न्यायालय द्वारा पट्टे की अपील खारिज की गई, जिससे अप्रार्थी संख्या–01 को बोलनें का अधिकार नहीं है क्योंकि अप्रार्थी को निर्णय दिनांक 29.10.2025 के खिलाफ निगरानी पेश करनी चाहिए थी। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 29.10.2025 को अपास्त किया जाकर निगरानी स्वीकार की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:44:07 IST
Reason: Self Attested

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–01 द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि पट्टा संख्या दिनांक 01.02.2008 को निरस्त करवानें बाबत अपील पेश की गई। दर्शनसिंह के नाम से वर्ष 1980 में 54 X 132 का पट्टा जारी किया गया था। वर्ष 2008 मे इसी पट्टे पर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

170 फुट का पट्टा जारी किया गया। नियमानुसार पट्टे पर पट्टा नहीं बनाया जाता है। पुराने घरों का पट्टा राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम की धारा 1996 की धारा 157 के तहत पट्टा जारी किया जाता है। अपने वर्तमान पट्टे में से 5 X 115 फुट गली छोड़ी गई है। पंचायत समिति नोहर द्वारा दिनांक 29.10.2025 को पारित निर्णय सही है। वर्ष 2008 में अजीतसिंह पुत्र रामलाल वार्ड नं0 का निवासी नहीं है। अतः पट्टा फर्जी है। अतः प्रार्थी निगरानी खारिज की जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 29.10.2025 को पारित निर्णय में पट्टा संख्या 42 दिनांक 01.02.2008 को यथावत रखते हुए उक्त पट्टा के पश्चिम में अंकित गली को अपीलार्थी सरजीत सिंह पुत्र मुख्तयारसिंह की निजी गली घोषित किया गया है लेकिन गली किसी की निजी नहीं हो सकती है। गली तो सार्वजनिक होती है। गली पर किसी को निजी अधिकार देना उचित नहीं है। अतः न्यायालय के मत में अधीनस्थ न्यायालय पंचायत समिति नोहर द्वारा 29.10.2025 को पारित निर्णय में पट्टा संख्या 42 के पश्चिम में स्थित गली को निजी घोषित कर त्रुटि कारित की है। अतः प्रार्थी की निगरानी स्वीकार योग्य होनें से स्वीकार की जाती एंव अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को दिनांक 29.10.2025 को अपास्त किया जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाई जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 19/3/26 को सरेइजलास सुनाया गया।

(संजू पारीक आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:44:07 IST
Reason: SelfAttested